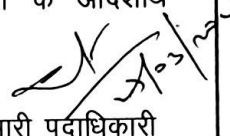
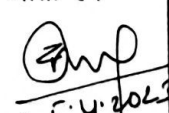


आदेश पत्रक ता. 27/03/2023 से तक

जिला बोकारो संख्या 131/2022-23 सन् 2023

केस का प्रकार Mining Appeal

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<u>27/03/2023</u>	जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के आदेश ज्ञापांक-283/एम0, दिनांक-18.02.2022 के द्वारा मेसर्स निषाद कोक इण्डस्ट्रीज, प्रो० पानबाबु केवट, सा०-पिछरी, पिपराटाँड़, थाना-पेटरवार, जिला बोकारो का डीलर्स लाईसेंस सं०-J020519646 को deactivate करने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 14 के तहत दायर किया गया है। अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें।  प्रभारी पदाधिकारी	
<u>31/03/2023</u>	अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। LCR की माँग करें। Put up on 25/04/2023.  31.03/2023	
<u>25/04/2023</u>	जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय पत्रांक-892/खनन, दिनांक-21.04.2023 से LCR प्राप्त है। अपीलकर्ता की ओर से वकालतन हाजिरी के साथ petition u/s 5 of the Limitation Act 1963 दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की हाजिरी है। अपीलकर्ता के द्वारा यह अपीलवाद दिनांक-27.03.2023 को अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में दायर किया गया, जो कालबाधित हो चुका है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील एवं दाखिल petition u/s 5 of the Limitation Act 1963 में उल्लेखित तथ्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वर्णित परिस्थिति में अपीलकर्ता के अपील आवेदन को Limitation के आधार पर खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  25.4.2023	164/मा० + DMO 01/04/2023 Bokaro

C. C. Issued Vide
No. Dated 16/5/23